

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/ छात्रवृत्ति/85/2018-19/ 15919
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9/7/18

1. आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश
2. आयुक्त,
तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश

विषय:- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क भुगतान करने के संबंध में।

वर्तमान में शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत शिक्षण शुल्क, नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क एवं निर्वाह भत्ता का भुगतान छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में किया जा रहा है।

उक्त व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन करते हुए लेख है कि शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क, नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क का भुगतान शिक्षण संस्था को किया जाएगा एवं निर्वाह भत्ते का भुगतान छात्र के बैंक खाते में किया जाएगा।

अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिये जाने शिक्षण शुल्क, नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क एवं निर्वाह भत्ता का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खातों में किया जाएगा।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9/7/18

पृ.क्रमांक/छात्रवृत्ति /2018-19/ 15920
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, विन्ध्यवाचन कचरा, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त संभागीय उपायुक्त/समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश